न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**रमेश देव (आर.ए.एस.)**
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक
नम्बर मुकदमा — 378/2021

निर्णय दिनांकः— 13.6.2023

विनोद कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 साहबराम पुत्र लाधूराम | जाति जाट सा. रतनपुरा तह.संगरिया
2 चन्द्रकला पुत्री साहबराम | जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी — अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी स. 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।वादी के पिता प्रति स. 1 साहबराम पुत्र लाधूराम के नाम चक 12 एस. बी.एन. खाता स. 88/44 खाता राजेन्द्र कुमार वगैरा ज. स. 2073—76 में 1.587 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 साहबराम पुत्र लाधूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।प्रति स. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादी तथा प्रति स. 2 की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी एवं प्रति स. 2 का उनके पिता के साथ जन्म से ही ब.हि..ब. का हक व हिस्सा बनता है। किन्तु प्रति स. 1 व 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। अतः प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। वादी दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे मेरे नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे प्रतिवादीगण वादी के

इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अतः घोषणा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि चक 12 एस.बी.एन. खाता स. 88/44 खाता राजेन्द्र कुमार वगैरा ज. स. 2073–76 में प्रति स. 1 साहबराम पुत्र लाधूराम के नाम दर्ज 1.587 है0 आराजी का वादी विनोद कुमार पुत्र साहबराम खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकन किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से प्रति स. 1 साहबराम पुत्र लाधूराम का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी विनोद कुमार का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादी के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 12 एस.बी.एन. खाता स. 88/44 खाता राजेन्द्र कुमार वगैरा ज. स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 12 एस.बी.एन. खाता स. 88/44 खाता राजेन्द्र कुमार वगैरा ज. स. 2073–76 में प्रति स. 1 साहबराम पुत्र लाधूराम के नाम दर्ज 1.587 है0 आराजी का वादी विनोद कुमार पुत्र साहबराम खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकन किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से प्रति स. 1 साहबराम पुत्र लाधूराम का नाम कलमजन किया जावे।

निज.......x........ मुब्लिक.......x........ बाबत.......x........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....x..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 13/6/2023 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विनोद कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट सा. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1	साहबराम पुत्र लाधूराम	जाति जाट सा. रतनपुरा तह.संगरिया
2	चन्द्रकला पुत्री साहबराम	जिला हनुमानगढ
3	तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया	

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

मु. स . 378/2021 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धूएड. वादी व श्री गुरमीत सिह कलसी एड. प्रति स. 1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 12 एस.बी.एन. खाता स. 88/44 खाता राजेन्द्र कुमार वगैरा ज. स. 2073–76 में प्रति स. 1 साहबराम पुत्र लाधूराम के नाम दर्ज 1.587 है0 आराजी का वादी विनोद कुमार पुत्र साहबराम खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकन किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से प्रति स. 1 साहबराम पुत्र लाधूराम का नाम कलमजन किया जावे।

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.6.2023 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी